

पत्र संख्या-विधि-2(1) प्रवेश कर अधिनियम-194-(2011-12)/511/1112038/वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:दिनांक: 15 जुलाई, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- विज्ञप्ति सं०-क०नि०-2-418/ग्यारह-9(1)/08-उ०प्र०अधि०-30-2007-आदेश-
(68)-2011 दिनांक 31.3.2011 एवं क०नि०-2-422/ग्यारह-9(1)/08-उ०प्र०
अधि०-30-2007-आदेश-(72)-2011 दिनांक 31.3.2011 के सम्बन्ध में लोहा व
इस्पात के व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा इंगित की गयी
पृच्छाओं के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्ट किया जाना

शासन की विज्ञप्ति सं०-क०नि०-2-422/ग्यारह-9(1)/08-उ०प्र० अधि०-30-
2007-आदेश-(72)-2011 दिनांक 31.3.2011 से लोहा व इस्पात पर प्रवेश कर की दर 1
प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गयी है तथा विज्ञप्ति सं०-418 दिनांक 31.3.2011, जो
प्रवेश कर अधिनियम, 2007 की धारा-6 के अन्तर्गत जारी की गयी है, में यह प्राविधान किया
गया है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथापरिभाषित लोहा एवं
इस्पात की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत
किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर की धनराशि की सीमा तक, ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में
प्रवेश पर प्रवेश कर अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से छूट दी जाएगी।

उपर्युक्त प्राविधान के कारण कतिपय बिन्दुओं पर भ्रम निवारण हेतु मुख्यालय द्वारा जारी
किये जाने वाले परिपत्र पर शासन के पत्र संख्या क०नि०-709/ग्यारह-2-2011-9 (1)/08
पार्ट-I दिनांक 06.07.2011 द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिये गये हैं जिसे निम्नवत् प्रसारित किया जा
रहा है :-

उक्त विज्ञप्ति सं०-418 दिनांक 31.3.2011 की भाषा से स्पष्ट है कि लोहा व इस्पात
के स्थानीय क्षेत्र में लाए जाने पर जो प्रवेश कर उद्ग्रहणीय होगा उसमें से उस सीमा तक
प्रवेश कर से छूट प्रदान कर दी जाएगी जितना कर वैट अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित
माल की खरीद या बिक्री पर देय होगा। यदि कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश के किसी निर्माता से
माल खरीदता है, तो प्रवेश कर अधिनियम की धारा-12(1) के अनुसार निर्माता का दायित्व है
कि वह क्रेता को माल की डिलीवरी देने से पूर्व क्रेता से देय प्रवेश कर प्राप्त करके जमा करें
और धारा-12(6) के प्राविधानों के अनुसार यह माना जाता है कि ऐसा प्रवेश कर क्रेता की
ओर से जमा किया गया है। उत्तर प्रदेश के निर्माता से माल खरीदने पर क्रेता का ही प्रवेश
कर का दायित्व होता है, जो निर्माता द्वारा क्रेता से प्राप्त करके जमा किया जाता है। निर्माता
से माल खरीदते समय क्रेता द्वारा निर्माता को वैट अधिनियम के अन्तर्गत देय कर भी अदा
करना होता है। स्पष्ट है कि ऐसे माल की खरीद करते समय क्रेता द्वारा वैट भी देय होता
है। इस प्रकार निर्माता से माल खरीदने पर क्रेता की प्रवेश कर और वैट- दोनों की देयता
होती है। अतः विज्ञप्ति की भाषा एवं उद्देश्य को देखते हुए जब उत्तर प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र
का कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश के निर्माता से प्रवेश कर योग्य लोहा व इस्पात की खरीद
करता है, तब ऐसे उद्ग्रहणीय प्रवेश कर में से क्रेता द्वारा खरीद पर देय वैट को कम करके

प्रवेश कर की शेष धनराशि ही निर्माता को क्रेता से प्राप्त करनी होती है, क्योंकि यही धनराशि क्रेता द्वारा देय प्रवेश कर की धनराशि होती है।

लोहा व इस्पात के व्यापार से सम्बन्धित कई व्यापारिक संगठनों द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी उक्त विज्ञप्ति सं०-418 दिनांक 31.3.2011 एवं 422 दिनांक 31.3.2011 से उत्पन्न विभिन्न शंकाओं/समस्याओं का समाधान करने की प्रार्थना की गयी है उनके द्वारा इंगित की गयी विभिन्न शंकाओं/समस्याओं पर स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जा रही है:-

1- निर्माता द्वारा लोकल एरिया के बाहर के ट्रेडर्स को बिक्री करने पर

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	(क) निर्माता द्वारा स्थानीय क्षेत्र के बाहर के ट्रेडर को बिक्री करने पर बिल में वैट, प्रवेश कर व रिबेट किस प्रकार दिखाया जाएगा। (ख) माल को स्थानीय क्षेत्र में लाने से सम्बन्धित व्यय आदि पर प्रवेश कर का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा (ग) आईटीसी का क्लेम किस प्रकार किया जाएगा।	(क) टैक्स इनवायस में माल के बिक्री मूल्य का 4% से वैट चार्ज किया जाएगा तथा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2(एच) में यथापरिभाषित माल के मूल्य का 5% उद्ग्रहणीय प्रवेश कर चार्ज किया जाएगा। उसके बाद वैट की धनराशि का रिबेट देने के बाद अवशेष प्रवेश कर की धनराशि निर्माता द्वारा स्थानीय क्षेत्र के बाहर के ट्रेडर से वसूली जायेगी और राजकीय कोषागार में जमा की जाएगी। (ख) क्रेता की प्रवेश कर की देयता होगी जो उसे स्वयं जमा करनी होगी। (ग) वैट की आईटीसी का क्लेम उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार विचाराधीन विज्ञप्तियां जारी होने से पूर्व वैट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा था।
2	क्या क्रेता द्वारा निर्माता को प्रवेश कर का भुगतान किये जाने के साक्ष्य स्वरूप निर्माता द्वारा क्रेता को कोई फार्म जारी किया जाएगा ?	नहीं
3	निर्माता द्वारा टैक्स इनवायस में प्रवेश कर अलग से प्रदर्शित न करने पर प्रवेश कर का भुगतान निर्माता को करना होगा या क्रेता को ?	प्रवेश कर का दायित्व क्रेता ट्रेडर का ही होगा।

2- ट्रेडर्स द्वारा लोकल एरिया के बाहर के ट्रेडर को बिक्री करने पर

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या ट्रेडर द्वारा स्थानीय क्षेत्र के बाहर के ट्रेडर को बिक्री करने पर इनवायस में अलग से प्रवेश कर चार्ज किया जा सकता है या केवल	टैक्स इनवायस में केवल वैट ही चार्ज किया जा सकता है, प्रवेश कर नहीं।

	4 प्रतिशत वैट ही चार्ज किया जा सकता है।	
2	इनवायस में 4 प्रतिशत की दर से प्रदर्शित किए गए वैट का रिबेट उद्ग्रहणीय प्रवेश कर से दे दिया जाएगा, क्या तब भी वैट की आई0टी0सी0 अनुमन्य होगी।	आई0टी0सी0 की अनुमन्यता और क्लेम करने की प्रक्रिया भी पूर्ववत् ही रहेगी।
3	(क) यदि स्थानीय क्षेत्र के बाहर के ट्रेडर से प्रवेश कर प्रदत्त माल की खरीद की गयी है, तो क्या क्रेता को साक्ष्य स्वरूप फार्म-डी देना अनिवार्य होगा? (ख) यदि विक्रेता क्रेता को फार्म-डी नहीं देता है, तब क्रेता का प्रवेश कर का दायित्व 1 प्रतिशत से होगा या 5 प्रतिशत से? (ग) क्या ऐसी खरीद पर उद्ग्रहणीय प्रवेश कर से भी वैट का रिबेट अनुमन्य होगा?	(क) हां (ख) उद्ग्रहणीय प्रवेश कर का दायित्व 5 प्रतिशत की दर से ही होगा। (ग) हां
4	ट्रेडर को प्रवेश कर का मासिक / वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा और क्या फार्म-डी दाखिल करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है।	प्रवेश कर अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों के अनुसार टैक्स पीरियड का रिटर्न तथा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने होंगे। फार्म-डी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वार्षिक रिटर्न के साथ दाखिल करना होगा।

3- ट्रेडर्स द्वारा लोकल एरिया के ट्रेडर को बिक्री करने पर

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	(क) क्या अपने ही स्थानीय क्षेत्र से माल की खरीद करने पर भी प्रवेश कर का दायित्व होगा? (ख) यदि स्थानीय क्षेत्र का क्रेता ऐसे माल की बिक्री अपने स्थानीय क्षेत्र के बाहर के व्यापारी को करता है, क्या तब प्रवेश कर देय होगा? (ग) ऐसा अगला क्रेता माल के प्रवेश कर प्रदत्त होने का साक्ष्य कैसे देगा?	(क) प्रवेश कर का दायित्व नहीं होगा (ख) हां, प्रवेश कर का दायित्व अनुवर्ती क्रेता पर होगा (ग-1) यदि बिक्रेता द्वारा प्रवेश कर प्रदत्त माल क्रेता को बेचा है तब ऐसा क्रेता खरीदे गये माल के सम्बन्ध में माल को प्रवेश कर प्रदत्त होने के साक्ष्य स्वरूप बिक्रेता से फार्म-डी प्राप्त कर के प्रस्तुत कर देता है, तब ऐसे अगले क्रेता का प्रवेश कर का कोई दायित्व नहीं होगा। (ग-2) यदि बिक्रेता द्वारा बिना प्रवेश कर प्रदत्त माल क्रेता को बेचा है तब प्रवेश कर का दायित्व

		क्रेता पर होगा और बिक्रेता प्रवेश कर प्रदत्त होने का साक्ष्य स्वरूप से फार्म-डी क्रेता को नहीं देगा (घ) यदि वह प्रवेश कर प्रदत्त होने का साक्ष्य नहीं दे पाता है, तब प्रवेश कर का दायित्व किसका होगा ?	(घ) प्रवेश कर का दायित्व क्रेता का ही रहेगा।
--	--	--	---

4- निर्माता द्वारा स्थानीय ट्रेडर्स को बिक्री करने पर

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या निर्माता द्वारा अपने ही स्थानीय क्षेत्र के क्रेता को माल बेचने पर भी क्रेता से प्रवेश कर इनवायस में चार्ज किया जाएगा?	नहीं
2	यदि निर्माता से माल खरीदने वाला निर्माता के ही स्थानीय क्षेत्र का क्रेता व्यापारी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के व्यापारी को माल बेचता है तब प्रवेश कर किसे और किस दर से देना होगा?	स्थानीय क्षेत्र के बाहर के ऐसे अनुवर्ती क्रेता की 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का दायित्व होगा, जिस पर नियमानुसार वैट का रिबेट देय होगा।

5- उत्तर प्रदेश के बाहर से माल की खरीद करके बिक्री करने पर

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	(क) उत्तर प्रदेश के बाहर से माल का आयात करने वाले व्यापारी की प्रवेश कर तथा वैट की देयता क्या होगी ? (ख) क्या ऐसा व्यापारी टैक्स इनवायस में प्रवेश कर चार्ज कर सकता है ?	(क) प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2(एच) में यथापरिभाषित मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर व बिक्री करने पर 4 प्रतिशत वैट उद्ग्रहणीय होगा और वैट का रिबेट अनुमन्य होगा (ख) नहीं ।
2	आयातक से माल खरीदने वाले क्रेता को प्रवेश कर से वैट का रिबेट कैसे मिलेगा ?	आयातक से माल की खरीद करने वाले क्रेता व्यापारी द्वारा बिक्रेता से प्राप्त करके फार्म-डी प्रस्तुत कर देने पर क्रेता व्यापारी का प्रवेश कर का कोई दायित्व नहीं होगा, अतः उसके स्तर पर प्रवेश कर से वैट का रिबेट लिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।
3	क्या आयातक द्वारा रिबेट का दावा करने के लिए सम्बन्धित माल को बेचने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है।?	नहीं
4	यदि आयातक व्यापारी से माल	

	खरीदने वाला क्रेता व्यापारी आयातक व्यापारी के ही स्थानीय क्षेत्र का व्यापारी है और वह खरीदे गये माल को स्थानीय क्षेत्र के बाहर के व्यापारी को बेचता है तब (क) क्या उसे बिल में प्रवेश कर चार्ज करना होगा ? (ख) क्या क्रेता व्यापारी माल के प्रवेश कर प्रदत्त होने के साक्ष्य स्वरूप फार्म-डी के स्थान पर कोई अन्य साक्ष्य भी दे सकता है? (ग) फार्म-डी न देने पर प्रवेश कर का दायित्व किसका और किस दर से होगा?	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) क्रेता द्वारा फार्म-डी प्रस्तुत न करने पर क्रेता का 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का दायित्व होगा, जिस पर नियमानुसार वैट का रिबेट देय होगा।
5	यदि माल के आयातक व्यापारी ने प्रवेश कर के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगनादेश ले रखा है, क्या तब भी ऐसा आयातक व्यापारी फार्म-डी जारी कर सकता है, और यदि नहीं तो क्रेता व्यापारी किस प्रकार प्रमाणित करेगा, कि माल की खरीद प्रवेश कर प्रदत्त है। क्या स्टे आर्डर की प्रति को ही सम्बन्धित माल के प्रवेश कर प्रदत्त होने का साक्ष्य नहीं माना जाएगा क्योंकि स्टे आर्डर प्राप्त करने वाले व्यापारी द्वारा प्रवेश कर के एवज में बैंक गारण्टी जमा की जा रही है।	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा व्यापारी के मामले में दिए गए विशेष निर्देशानुसार ही कार्यवाही होगी।
6	यदि आयातक द्वारा एक से अधिक टैक्स-पीरियड में माल की बिक्री की जाती है, उस स्थिति में वैट का रिबेट का लाभ किस प्रकार लिया जायेगा ?	किसी टैक्स-पीरियड में आयातित समस्त माल पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2(एच) में यथा परिभाषित माल के मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से उदग्रहणीय प्रवेश कर में से बिक्रीत माल पर 4 प्रतिशत की दर से संदेय वैट का रिबेट कम करके अवशेष प्रवेश कर जमा किया जायेगा। यदि आयातक द्वारा एक से अधिक टैक्स-पीरियड में माल की बिक्री की जाती है तो अधिक जमा प्रवेश पर अनुवर्ती टैक्स-पीरियड में संदेय प्रवेश कर में समायोजित किया जायेगा जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा :- एक आयातक द्वारा 100 टन प्रवेश करयोग्य लोहा/इस्पात की खरीद अप्रैल, 2011 में की जाती है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2(एच) में यथा परिभाषित माल का मूल्य ₹0 40,00,000/ है। इसमें से 60 टन माल अप्रैल, 2011 में ₹0 27,00,000/ में तथा 40 टन माल मई, 2011 में ₹0 18,40,000/ में बिक्री

	की जाती है तो : – <u>अप्रैल, 2011</u> Entry Tax @ 5% of 40,00,000 = 2,00,000 VAT Payable @ 4% of 27,00,000 = 1,08,000 Rebate = 1,08,000 Entry Tax payable = 2,00,000 - 1,08,000 = 92,000 <u>मई, 2011</u> VAT Payable @ 4% of 18,40,000 = 73,600 Rebate = 73,600 Total Entry Tax = 2,00,000 Total Rebate = 1,08,000 + 73,600 = 1,81,600 Net Total Entry Tax payable = 2,00,000 - 1,81,600 = 18,400 Entry Tax Paid = 92,000 Excess Entry Tax Paid = 92,000 - 18,400 = 73,600 73,600/ is adjustable in next tax-period against liability of Entry Tax.
--	---

6– उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किए गए लोहा व इस्पात का उपयोग आयातित माल से भिन्न माल के निर्माण में करने पर

प्रश्न	उत्तर
उ०प्र० के निर्माता द्वारा उ०प्र० के बाहर से लोहा व इस्पात की खरीद करने पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर उद्ग्रहणीय है। क्या इस प्रवेश कर में से निर्मित माल की बिक्री पर देय होने वाले वैट का रिबेट अनुमन्य होगा।	चूँकि ऐसे मामलों में आयातित माल की बिक्री पर कोई वैट देय नहीं है, और बेचा गया निर्मित माल आयात किए गए माल से भिन्न है, अतः ऐसे मामलों में उद्ग्रहणीय प्रवेश कर में कोई रिबेट अनुमन्य नहीं है।

7– उत्तर प्रदेश के निर्माता द्वारा उत्तर प्रदेश के निर्माता से खरीद करने पर

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	उत्तर प्रदेश के निर्माता द्वारा उत्तर प्रदेश के निर्माता से माल की खरीद करने पर क्या 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर और 4 प्रतिशत की दर से वैट— दोनों का भुगतान क्रेता को करना होगा?	अतः यदि उत्तर प्रदेश के निर्माता द्वारा उत्तर प्रदेश के निर्माता से लोहा व इस्पात की खरीद की जाती है, जिस पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर उद्ग्रहणीय है, तब खरीद पर देय वैट को उद्ग्रहणीय प्रवेश कर से घटाते हुए प्रवेश कर की शेष धनराशि ही जमा करनी होगी।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसकी पर्याप्त प्रतियां करा कर व्यापारिक/अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराने का भी कष्ट करें।

ह०/
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।